S.T. Case No. 242/2016 CIS No-287/2016

न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

सत्रवाद संख्या–242/2016

जोकिहाट महलगांव थाना कांड सं0–64/2013

03.04.2025 :–पीड़िता के तरफ से इस आशय का आवेदन दिया गया है कि अभियुक्त सिकंदर उर्फ चीकू बहुत ही धनी लोग हैं और मैं एक गरीब निःसहाय महिला हूं और मुझे पूर्व में किये गए डीएनए जांच पर भरोसा नहीं है। अतः मैं अपने बच्चे के साथ अभियुक्त सिकंदर उर्फ चीकू का डीएनए जांच पुनः कराना चाहती हूं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त का डीएनए जांच सन 2013 में कराया गया था। जिसका जांच रिपोर्ट 2019 में प्राप्त हुआ था अब पुनः सात वर्षों के बाद सूचिका को परेशान करने के नियत से डीएनए जांच कराना चाहते हैं।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त का पूर्व में डीएनए जांच माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या–27524/2016 में दिए गए आदेश के आधार पर कराया गया था। जिसमें कि ब्लड सैंपलिंग दिनांक 03.02.20217 को श्री शिव कुमार शर्मा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अररिया के समक्ष एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण में किया गया था और जिसका कि रिपोर्ट भी अभिलेख में संलग्न है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष ब्लड सैंपलिंग करते समय कोई अनियमितता केवल इस आधार पर की गयी होगी कि पीड़िता गरीब है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अररिया ने अपने समक्ष लिए गए प्रदर्श को प्रमाणित भी किया है। अतः पुनः डीएनए टेस्ट की जांच का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया